विधान सभा उप निर्वाचन, 2019
सर्वोच्च प्राथमिकता

समाहरणालय, सहरसा

निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग

(वाणिज्य-कर विभाग, सहरसा)

-:: आदेश ::-

N
२२/१

बिहार विधान सभा उप निर्वाचन-2019- 76 सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सफल संचालन हेतु विभिन्न कोषांग का गठन किया गया है। उसी क्रम में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के अन्तर्गत FST, SST,VST, VVT, Accouting Team का गठन भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार किया जाता है। सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट **eci.gov.in** एवं **ceobihar.nic.in** पर कोषांग से संबंधित कार्यो से पूर्णतः अवगत हो लेंगे ताकि कार्य निष्पादन में कोई कठिनाई न हो एवं ससमय कार्यो का त्वरित निष्पादन आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार पूरा कर सकें। कोषांग के नोडल पदाधिकारी कोषांग के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को उनके दायित्व से अवगत करा देंगे :-

1. उड़नदस्ता दल (FST)

विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्र0	पदा०/दण्डाधिकारी का नाम एवं मोबाइल संख्या	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं मोबाइल संख्या	पुलिस बल	विडियोग्राफर	कार्यक्षेत्र
76 सिमरी बख्तियारपुर	1	श्री नारायण बैठा, अंचलाधिकारी, कहरा मो०-8544412830	स०अ०नि० कुमार विनोदानन्द, महिषी थाना मो०-9661346068	1-4	जिला स्तर	महिषी प्रखंड, पार्ट
	2	श्री धर्मदेव चौधरी, अंचलाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर मो०-8544412839	स०अ०नि० कमलाकान्त तिवारी, बख्तियारपुर थाना मो०-9709691030	1-4	जिला स्तर	सिमरी बख्तियारीपुर प्रखंड
	3	श्री श्याम किशोर यादव, अंचलाधिकारी, सलखुआ मो०- 8544412838	स०अ०नि० ददन यादव, सलखुआ थाना मो०-9801358498	1-4	जिला स्तर	सलखुआ प्रखंड

उड़नदस्ता दल (FST) का कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् हैः-

- निर्वाचन व्यय तथा आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करना, शिकायतकर्ता का नाम/पता ज्ञात होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना, जहाँ शिकायत प्राप्त होने के आधा घंटे के अन्दर पहुँचना सम्भव नहीं हो वहाँ SST या स्थानीय SHO को सूचित करना तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण करना।
- नियंत्रण कक्ष द्वारा दूरभाष पर दिए गए सभी प्रकार के शिकायतों की जाँच करना, जाँचोपरान्त नियंत्रण कक्ष को दूरभाष पर सूचना देना एवं लिखित रूप में प्रतिवेदन लेखा दल को समर्पित करना।
- जब कभी उड़नदस्ता दल को यह सूचना प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/राजनीतिक पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नगद राशि या लिकर या प्रलोभन के रूप में दी जाने वाली किसी सामग्री का वितरण किया जा रहा है या असामाजिक तत्वों अथवा आर्म्स की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो उड़नदस्ता दल तुरंत उस स्थान पर पहुँचेंगे तथा नगद राशि अथवा प्रलोभन के तौर पर दी जानेवाली सामग्री अथवा अन्य अवैध सामग्री को जप्त करेगा। इनके साथ-साथ सभी प्रकार के साक्ष्य संकलित करेगा एवं जिस व्यक्ति की सामग्री जप्त की जा रही है उसके एवं अन्य साक्ष्यों का बयान कलमबद्ध करेगा।
- SST का पर्यवेक्षण करना तथा यह ध्यान देना कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- नगद राशि या अन्य अवैध वस्तुओं के जप्त किये जाने पर **एनेक्सचर-"ए"** एवं "सी" में प्रतिदिन प्रतिवेदन Expenditure Cell में एवं एम०सी०सी० के उल्लंघन से संबंधित घटनाओं का प्रतिवेदन **एनेक्सचर-"बी"** में संबंधित MCC Cell में सहायक व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना।

- शिकायतों के निष्पादन के अतिरिक्त निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन–क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार, खर्चो, रिश्वत की मदों का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध शस्त्रों, गोला–बारूद, शराब या असामाजिक तत्वों आदि पर नजर रखने के लिए गठित उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों और चेक पोस्टों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुलग्नक–73 के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसएसटी) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दैनिक गतिविधि रिपोर्टो के फार्मेट इसके साथ संलग्न है। फ्लाईंग स्कवाइड अपने कार्य क्षेत्र में अवैध नगदी के लेन–देन, लिकर के वितरण या अन्य वस्तुएं जिनके बारे में यह संदेह हो कि इसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने में किया जाएगा इत्यादि पर पैनी नजर रखेंगे।
- अवैध धन, लिकर इत्यादि वस्तुओं को पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे एवं सीजर लीस्ट विधिवत तैयार कर जप्त करेंगे।

2. Video Surveillance Team

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार वीडियो चौकसी दल का गठन किए जाने का प्रावधान है, जिसमें एक पदाधिकारी तथा एक वीडियोग्राफर होगा। इस दल का गठन प्रखण्ड स्तर पर निम्नवत् किया जाता है :–

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का सं0 एवं नाम	क्रमाक	पदा०/दण्डाधिकारी का नाम एवं मोबाईल संख्या	विडियोग्राफर	कार्यक्षेत्र
76–सिमरी बख्तियारपुर	1	श्री परशुराम सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महिषी, मो०–9431818298	जिला स्तर	महिषी प्रखंड
	2	श्री दीपक दास, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरघट, मो०–9431818295	जिला स्तर	सिमरी बख्तियारीपुर प्रखंड
	3	श्री कमलेश कुमार प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर, मो०– 6200956284	जिला स्तर	सलखुआ प्रखंड

वीडियो सर्विलांस टीम (VST) का कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् हैः–

- वीडियो निगरानी टीमों को शूटिंग के प्रारंभ में **घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम** स्वर प्रणाली (वॉयस मोड) में रिकॉड करना होगा। वह वाहनों/घटनाओं/पोस्टरों/कट–आउट का इस तरह से वीडियों लेगा की प्रत्येक वाहन का साक्ष्य, उसका निर्माण और रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर की संख्या, रोस्ट्रम का आकार, बैनर कट आउट इत्यादि स्पष्ट दिखाई दें जिससे व्यय का अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसे वाहन रैली के स्थल के बाहर पार्क किए गए हैं तो, जहाँ तक संभव हो, ड्राईवर एवं पैसेन्जर का बयान भी रिकार्ड कर लेखा दल एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगें।
- घटना की शूटिंग के दौरान वीडियो टीम को घटना में प्रयोग किए एक **वाहनों, कुर्सियो, फर्नीचर/लाईट/लाउडस्पीकर इत्यादि की अनुमानित संख्या** और प्रकार कार्यक्रम में प्रयुक्त रोस्ट्रम/बैनर/पोस्टर/कटआउट इत्यादि के अनुमानित आकार का विवरण स्वर माध्यम से भी रिकार्ड करना होगा। इससे वीडियो निगरानी टीमों को दृश्यों के संदर्भ में दुतरफा जाँच कर लेने और घटना के व्यय का अनुमान लगाने में आसानी रहेगी। वे भाषण तथा अन्य घटनाओं को भी रिकार्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।

  वीडियो निगरानी टीमों रिकॉर्डिंग के समय अनुलग्नक–7 में दिए गए प्रोफार्मा में एक संकेत पत्र तैयार करेगी। यह संकेत पत्र (क्यू शीट) रिकार्ड की गई सी0 डी0 के साथ निगरानी टीमों को दिया जाना चाहिए। वीडियो सी0 डी0 में पहचान संख्या, दिनांक, कर्मचारी या अधिकारी का नाम होगा और इसे हमेशा संकेत पत्र के साथ रखा जाएगा। संकेत पत्र के रख–रखाव का उद्देश्य हे कि सी0 डी0 में उपलब्ध साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देख लिया जाए और साक्ष्यों के संगत भाग को संक्षिप्त समय में देख लिया जाए। सी0 डी0 में **वीडियोंग्राफर द्वारा कोई छेड़–छाड़ (editing) नहीं किया गया हो** इसकी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही संबंधित दण्डाधिकारी की होगी।

3. Video Viewing Team (VVT)

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार वीडियो अवलोकन टीम का गठन किए जाने का प्रावधान है, जिसमे एक पदाधिकारी तथा दो लिपिक होंगे। इस दल का गठन विधान सभा वार किया गया है, जो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रखण्डो के वीडियों चौकसी दल (VVT) द्वारा भेजे गए वीडियोग्राफी को देखेगी।

कार्य स्थल :– वाणिज्य–कर विभाग कार्यालय, सहरसा अंचल, सहरसा।

विधान सभा क्षेत्र का नाम	क्रमाक	पदा० / दण्डाधिकारी का नाम एवं मोबाईल संख्या	सहयोगी लिपिक का नाम एवं मोबाईल संख्या
76–सिमरी बख्तियारपुर	1	श्रीमती संगीता कुमारी, C.D.P.O. Sattar katiaya, Mob-9431005445	1 श्री नवीन कुमार सिंह, सांख्यिकी सहायक, C.D.P.O. Simri Bakhtiyarpur, Mob- 9431411426 2. श्री रत्नहास कुमार सिंह, लिपिक, C.D.P.O. Salkhua, Mob- 9534802800

वीडियों अवलोक टीम (VVT) कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् है:–

वीडियों निगरानी दलों द्वारा ली गई वीडियो रिकार्डिंग C.D/Memory को देखेंगे। किसी भी बाहरी एजेंसी को संपादन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ यह सी0डी0 नहीं सौपेंगे। व्यय से संबंधित मामलों और आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम द्वारा वीडियो निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सी0 डी0 प्रतिवेदन देखी जाएगी। वे उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन तक व्यय से संबंधित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम / सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे। व्यय से संबंधित रिपोर्ट में टीम सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन संख्या और उनका प्रकार, मंच का आकार, कुर्सियों की संख्या पोस्टर / बैनर में उद्वरण का आकार, कट आउट की संख्या और वीडियों में की गई व्यय की अन्य सभी मदों की डालेगी। यह टीम आदर्श आचार संहिता से संबंधित रिपोर्ट / अवलोकन को साधारण प्रेक्षक / रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। लेखा टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय की दर प्रस्तुत करेंगे, वीडियो साक्ष्य के आधार पर कुल व्यय की गणना करेंगे और संबंधित अभ्यर्थी के Shadow Observation /Register (छाया प्रेक्षण रजिस्टर) में प्रविष्टि करेंगे। जब इसे जाँच के लिए व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब अभ्यर्थी के रजिस्टरके साथ इसकी तुलना की जाएगी। किसी भी व्यय को न दिखाया जाना, विलोपित करने की स्थिति में तुरंत जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा।

4. स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST)

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया जाना है। प्रत्येक टीम में 01 दण्डाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी तथा 1–4 पुलिस कर्मी तथा एक वीडियोग्राफर होगा।

इस टीम का कर्त्तव्य दायित्व निम्नवत् है:–

क्र०	स्थान (76 सिमरी बख्तियारपुर)	SST के दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नं0	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0	पुलिस बल	वीडियोग्राफर का नाम एवं मोबाइल नं0
1	महिषी थाना क्षेत्र	श्री सुदिष्ट कुमार झा, अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता कार्यालय, सहरसा, मो०–89872101645	स०अ०नि० श्री विनोद कुमार राय, महिषी थाना, मो०–9155938771	1–4	स्थानीय स्तर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा
2	बख्तियारपुर थाना क्षेत्र	श्री विक्रम कुमार, अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता कार्यालय, सहरसा, मो०–9404906398	स०अ०नि० श्री कपिलदेव रामबख्तियारपुर थाना मो०–6299121746	1–4	स्थानीय स्तर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा
3	सलखुआ थाना क्षेत्र	श्री आनन्द प्रकाश, मुख्य अनुदेशक, आई0 टी0 आई0, सि0 बख्तियारपुर मे0– 7870410274	स०अ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, सलखुआ थाना, मो०–7488395182	1–4	स्थानीय स्तर / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा

स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) का कर्त्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् है :–

- यह टीम जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में तथा जिले के मुख्य मार्गो पर चेक पेस्ट स्थापित करेगी जहां अवैध नगदी, लिकर, आर्म्स सामग्री की जाँच करेगी तथा पूरी जाँच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएगी।
- यदि किसी राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा Rs. 50,000.00 से अधिक की राशि नकद रूप में ले जायी जाती या Rs. 10,000.00 से उपर का गिफ्ट सामग्री या शराब या अवैध आर्म्स का स्थानान्तरण होता है तो इसे जब्त कर लिया जाएगा।
- चेक पोस्ट पर सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी तथा CD लेखा दल को समर्पित की जाएगी।
- कभी–कभी शहर के मुख्य मार्गो या जिले के किसी मार्गो पर औचक रूप से चेक पोस्ट स्थापित करने का आदेश जिला गोपनीय शाखा से संबंधित मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी को दी जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अविलंब निदेशित स्थान पर चेक पोस्ट स्थापित करते हुए जाँच शुरू कर दी जाएगी।
- Flying Squad द्वारा SST का पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जाँच के दौरान आम जनता को परेशानी न हो। महिलाओं के पर्स या थैले की जाँच महिला पदाधिकारी की उपस्थिति में ही की जाएगी। वाहनो की जाँच भी शिष्ट तरीके से की जाएगी एवं Seizure की सम्पूर्ण प्रक्रिया की Video recording करें।
- सभी दल प्रतिदिन की कार्रवाई का प्रतिवेदन एवे वीडियो सी० डी० **सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा दल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकरी** तथा पुलिस अधीक्षक को **प्रपत्र–"सी"** में भेजेंगे।

5. नगदी रिलीज करना

1. आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचने के लिए तथा उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का भी निवारण करने के लिए जिले के तीन पदाधिकारियों की समिति गठित की जाती है जो इस प्रकार है। (क) अपर समाहर्त्ता, सहरसा (ख) उप विकस आयुक्त, सहरसा (ग) वरीय कोषागार पदाधिकारी, सहरसा। समिति पुलिस अथवा स्टैटिक निगरानी दल या उड़न दस्ते द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी तथा जहाँ समिति यह पाती है कि मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी/शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहाँ जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नही है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नगदी जब्त की गई थी, को ऐसी नगदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के पश्चात् रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। समिति सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
2. जब्ती दस्तावेज में जब्ती के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नगदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियो को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए। समिति के संयोजक की दूरभाष संख्या सहित इस समिति की कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
3. व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नगदी रिलिज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचना का एक रजिस्टर में रख–रखाव किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित और तिथिवार होगा तथा इसमें अवरूद्ध/जब्त नगदी की राशि और संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर दिए जाने की तारीख का विवरण होगा।
4. यदि रिलीज की गई नगदी 10 (दस) लाख रू० से अधिक है तो रिलीज किए जाने से पहले आयकर के नोडल अधिकारी से सूचित किया जाएगा।
5. उड़न दस्ते एसएसटी या पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की गई नगदी आदि की जब्ती की राशि के अनुसार कार्रवाई होगी। किसी भी परिस्थिति में, जब्त की गई नगदी/जब्त की गई बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले, मालखाना या कोषागार में मतदान की तारीख के पश्चात 7 (सात) दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखें जाएगें जब तक कि कोई प्राथमिकी/शिकायत न दर्ज की गई हो। यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नगदी/बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार व्यय अनुश्रवण हेतु लेखा दल का गठन किए जाने का प्रावधान है, जिसमें एक दण्डाधिकारी तथा एक लिपिक होंगे। इस दल का गठन विधान सभा वार किया गया है :–

क्र०	लेखा दल के प्रभारी पदा० का नाम/ पदनाम/ मोबाईल संख्या	सहयोगी लिपिक का नाम/ मोबाइल संख्या	कार्यक्षेत्र
1	श्री ब्रजभूषण सिंह, वरीय अंकेक्षण–II वित्त अंकेक्षण, को० प्र० सहरसा, मो०–9430563630	श्री सुरेन्द्र सिंह, लेखा लिपिक, पथ प्रमण्डल, सहरसा मो०–9709903310	76–सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

लेखा दल का कर्तव्य एवं दायित्व निम्नलिखित है :–

- प्रत्येक लेखा दल के वरीय प्रभार में सहायक व्यय प्रेक्षक होंगे जो लेखा दल के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे तथा दल के द्वारा अभ्यर्थीवार SOR एवं FE तैयार करने में यथावश्यक मार्गदर्शन करेंगे।
- SOR के नामांकन के दिन से लेकर चुनाव की घोषणा/दोनो दिन अभ्यर्थियों द्वारा संधारित पंजी में अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन से संबंधित व्यय अनुश्रवण के लिए गठित विभिन्न–विभिन्न टीमो यथा SST, FS, VST, VVT इत्यादि द्वारा प्रतिवेदित सूचना के आधार पर प्रत्येक सामग्री को अंकित किया जाएगा।
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के प्रत्येक अभ्यर्थी के 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' और साक्ष्यों के फोल्डर के रख–रखाव में लेखा टीमों को सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। उन्हे जैसा रिपोर्ट किया गया है वैसे ही वे व्यय की मदों की प्रविष्टि करेंगे और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर लिखेंगे, फिर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मदों पर कुल व्यय की गणना करेंगे।
- ऐसे मामले हैं, जहाँ निर्वाचन अभियान सामग्री नामांकन दाखिल करने के बाद प्रयोग की गई है, जबकि नामांकन दाखिल करने से पहले उसका भुगतान कर दिया गया होगा, दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकन दाखिल करने के बाद निर्वाचन अभियान सामग्री पर किए गए व्यय को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करना चाहिए, भले ही उसका भुगतान नामांकन दाखिल करने से पहले कर दिया गया हो। इसी तरह नामांकन दाखिल करने के संबंध में रैली या जूलूस पर व्यय को निर्वाचन व्यय के एक भाग के रूप में दिखाया जाना चाहिए।
- लेखा दल द्वारा नामांकन के समय आयोजित जूलूस/सभा/रैली पर किए गए व्यय को भी SOR में अंकित किया जाएगा, भले ही उस व्यय का भुगतान नामांकन के पूर्व ही कर दिया गया हो।
- लेखा दल द्वारा SOR पंजी में जिस सामग्री को अंकित किया जाएगा, उस प्रत्येक सामग्री का साक्ष्य अभ्यर्थी वार एक फोल्डर में सुरक्षित रखा जाएगा। इस फोल्डर का नाम FE (Folder of Evidence) है। इसके सभी पृष्ठों पर पृष्ठांकन किया जाएगा एवं AEO द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

प्रभारी पदाधिकारी/AOE को निदेश दिया जाता है कि ECI/CEO के वेबसाईट पर उपलब्ध इस विषय के संबंध में अद्यतन दिशा निर्देशों का अध्ययन करते रहेंगे तथा ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

23/9/19
पुलिस अधीक्षक,
सहरसा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, सहरसा

ज्ञापांक :– 01 /निο०को०, सहरसा, दिनांक :– 23/09/2019

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निर्वाची पदाधिकारी, 76–सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांग के वरीय/नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, सहरसा अंचल सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/19
पुलिस अधीक्षक,
सहरसा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, सहरसा।